



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260609
CG-DL-E-31012025-260609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/ माघ 9, 1946

No. 515]

NAW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना


नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

का.आ. 519(अ)- केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड- 3 उप-खंड (ii) दिनांक 18 सितम्बर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना का.आ. 3958(अ), दिनांक 18 सितम्बर, जिसमें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप धारा (1) यथा अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की अवधि की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त प्राचीन स्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपियां दिनांक 18 सितम्बर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।



अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल किए जाने वाले प्लॉट सं.	क्षेत्रफल	स्वामित्व	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	शिवसागर	नाज़िरा	चराईदेव	मैदामों का समूह	प्लॉट सं. 7 (डाग सं.) 7 (भाग)	140 बिघा 4 कट्टा 19 लेषा	राज्य सरकार	उत्तर: प्लॉट सं. 7 (डाग सं. 7) दक्षिण: प्लॉट सं. 7 (डाग सं. 7) पूर्व: प्लॉट सं. 25 (डाग सं. 25) पश्चिम: प्लॉट सं. 7 (डाग सं. 7)
					कुल क्षेत्रफल	140 बिघा - 4 कट्टा - 19 लेषा (188616.95 वर्ग मी.)		

[फा. सं. टी-19013/1/2023-स्मा.]

यदुवीर सिंह रावत, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE**(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)****NOTIFICATION**


New Delhi, the 29 January, 2025

S.O. 519(E)—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India), number S.O. 3958(E), dated the 18th September, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th September, 2024, the Central Government gave two months notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 18th September, 2024;

And whereas no objection from the public has been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, the Central Government hereby declares that the ancient monument specified in the Site Plan and Schedule annexed hereto, to be an ancient monument of national importance.



SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of Monument	Plot Numbers to be included under protection	Area	Ownership	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Assam	Sivasagar	Nazira	Charaideo	Group of Moidams	Plot No. 7 (Dag No.) 7 (Part)	140 Bigha 4 Katha 19 Lesha	State Government	North: Plot No. 7 (Dag No. 7) South: Plot No. 7 (Dag No. 7) East: Plot No. 25 (Dag No. 25) West: Plot No. 7 (Dag No. 7)
					Total Area	140 Bigha-4 Katha-19 Lesha (188616.95 sq. m.)		

[F. No. T-19013/1/2023-M]

YADUBIR SINGH RAWAT, Director General